कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

सी–ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.–2, तुलसी नगर, भोपाल–462003

क्रमांक/एफ–3/82/2018/10–11/16/4572 भोपाल, दिनांक 27-8-24

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड़, नई दिल्ली–110003

विषयः–जिला नीमच के अंतर्गत गंगा बावडी जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु 43.149 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः–परिवेश पोर्टल 1.0 पर अपलोड प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/IRRIG/32285/2018

––0––

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव में लेख है कि मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्ताव पूर्व में 39.399 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन का प्रस्तुत किया गया था। उक्त 39.399 हेक्टेयर वनभूमि का प्रस्ताव इस कार्यालय के द्वारा भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल को सैंद्वातिक स्वीकृति जारी करने हेतु प्रेषित किया गया।

भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा प्रस्ताव के परीक्षण में अतिरिक्त वनभूमि प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव को संशोधित करने के निर्देश दिये गये, उक्त निर्देशों के पालन में आवेदक विभाग द्वारा प्रस्ताव को संशोधित किया जाकर 43.149 हे0 वनभूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जिसका संक्षिप्त में विवरण निम्नानुसार है :–

1. मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग द्वारा जिला नीमच के अंतर्गत गंगा बावडी जलाशय परियोजना निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें जिला नीमच के अंतर्गत वनमंडल नीमच के वन परिक्षेत्र मनासा के आरक्षित वनखण्ड कंजार्डा के कक्ष क्रमांक 287, 290, 293 एवं 295 का रकबा 43.149 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित होगी। (परिशिष्ट–1)
2. प्रस्ताव के साथ परियोजना के निर्माण हेतु औचित्य टीप तथा अन्य विकल्प नहीं होने संबंधी संक्षिप्त टीप संलग्न है। (परिशिष्ट–2)
3. प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् कलेक्टर जिला नीमच द्वारा दिनांक 05.08.2023 से जारी एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र एवं उपखण्ड/जिला स्तरीय वन अधिकार समिति तथा ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही विवरण के अभिलेख संलग्न है। (परिशिष्ट–3)
4. परियोजना में प्रभावित वनभूमि 43.149 हेक्टेयर के बदले में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कलेक्टर जिला नीमच के निम्नानुसार आदेश पत्रों से गैर वनभूमि हस्तांतरित की गयी है :–

आदेश दिनांक	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	हस्तांतरित रकबा (हेक्ट. में)
23.09.2021	हांसपुर	715, 716, 717, 719/2	3.399
31.03.2023	डाबी, जेतलिया	01 (S)	28.25
12.09.2018	फुसरिया	1158	7.75
10.05.2023	दाता एवं भागल	497/2(S), 498	3.75
		कुलः–	**43.149**

उक्त हस्तांतरण आदेशों की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट–4)

–2–

5. वनमण्डलाधिकारी, नीमच ने अवगत कराया है, कि परियोजना अंतर्गत क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्राप्त उपरोक्त गैर वनभूमि में 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाया जाना संभंव नही होने के कारण शेष पौधे बिगड़े वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक 318 एवं 199 में रोपित किये जावेंगे। सुलभ संदर्भ हेतु वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि एवं बिगड़े वन क्षेत्रों के स्थलों की रोपण योजना मय तकनीकी स्वीकृति सहित संलग्न है। (परिशिष्ट–5)

6. वेबपोर्टल पर अपलोड प्रस्ताव के भाग–2 के अनुसार परियोजना निर्माण से प्रस्तावित वनभूमि मे एफ.आर.एल. लेवल पर कुल 1872 वृक्ष प्रभावित होंगें।

7. प्रस्ताव के साथ वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल नीमच की साईट इंस्पेक्शन रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में संलग्न की गई है। (परिशिष्ट–6)

8. प्रस्ताव के साथ मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) उज्जैन वृत्त उज्जैन की साईट इंस्पेक्शन रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में संलग्न की गई है। (परिशिष्ट–7)

9. प्रस्ताव के साथ वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल नीमच द्वारा प्रभावित वनभूमि 43.149 हेक्टेयर आवेदक विभाग को दिये जाने की अनुशंसा की गई है। जिस पर मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन द्वारा प्रस्ताव के भाग–3 में गंगा बावडी जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु वनभूमि उपयोग पर देने की अनुशंसा की गई है। (परिशिष्ट–8)

अतः उपरोक्तानुसार निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार की आवश्यक अनुमति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

23.08.24

(एच.एस.मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–3 / 82 / 2018 / 10–11 / 16 / 4573 भोपाल, दिनांक 27-8-24

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) उज्जैन वृत्त उज्जैन, मध्यप्रदेश।
2. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल नीमच, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग नीमच, जिला नीमच, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

23.08.24

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल